न्यायालय
सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी
गुढामालानी–बाड़मेर
(पीठासीन अधिकारी –केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

प्रार्थना–पत्र संख्याः–2024 / 16 दर्ज तिथिः–08.01.2024

1. हराराम पुत्र जगाराम
   जाति रबारी निवासी उकजी की ढाणी तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

......................प्रार्थीगण

बनाम

1. गेरों पत्नी जगा
2. चेला पुत्र जगा
3. धना पुत्र जगा
4. सांवला पुत्र जगा
   जाति रबारी निवासी उकजी की ढाणी तहसील गुडामालानी जिला बाड़मेर
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार गुडामालानी

................अप्रार्थीगण

उपस्थित अधिवक्ता
प्रार्थीः–श्री हरीश चौधरी
अप्रार्थीगणः– एकतरफा

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–136
राजस्थान भू–राजस्व अधि.–1956

–:निर्णयः–

निर्णय तिथिः–16.01.2025

1. आज यह पत्रावली प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 का वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई। प्रार्थना पत्र का सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि प्रार्थीगण ने राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–136 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड हाल आराजी खाता संख्या 36 हाल खसरा नम्बर 129 / 94 / 0.0567 है0 किस्म गै0मु0 रास्ता, 130 / 94 / 3.0917 है0 में प्रार्थी 1 / 5 हिस्से का खातेदार मौजा उकजी की ढाणी तहसील गुडामालानी जिला बाडमेर राजस्थान में स्थित दर्ज रिकॉर्ड है। उक्त आराजी वर्णित हाल खसरा संख्यान राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी सम्वत् 2074–2077 में खाता संख्या 36 में प्रार्थी का नाम हरू पुत्र जगा अंकित है। जबकि प्रार्थीगण के समस्त दस्तावेजात् व आईडी व अन्य रिकॉर्ड में प्रार्थी का सही नाम हराराम पुत्र जगाराम दर्ज है। इस प्रकार जमाबन्दी सम्वत् 2074–2077 में राजस्व कर्मचारियों द्वारा

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.02.26 16:21:03 IST
Reason: SelfAttested

गलत अंकन किया गया है। अंत में प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी की उक्तानुसार वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी नाम हराराम पुत्र जगाराम दर्ज किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त किया जावे।

2. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण बावजूद तामील अनुपस्थित रहे। अतः उनकी ओर से एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी। प्रकरण में तहसीलदार गुडामालानी से जांच रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार गुडामालानी द्वारा जांच रिपोर्ट प्रेषित की जो कि शामिल पत्रावली की गई।

3. पत्रावली पर प्रार्थीगण की बहस सुनी गई। दौराने बहस प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित बिन्दुओं को मात्र दौहराते हुए हाल राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में हराराम पुत्र जगाराम के स्थान पर हरू पुत्र जगा दर्ज होने के कारण प्रार्थीगण को नापूर्ति योग्य नुकसान हो रहा है। अंत में प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी हाल राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम हरू पुत्र जगा दुरूस्त कर सही नाम हराराम पुत्र जगाराम दर्ज कर घोषणा किये जाने का निवेदन किया गया।

4. मैनें प्रार्थीगण अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर संलग्न दस्तावेजात् का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण में हाल राजस्व रिकॉर्ड मुताबिक जमाबंदी संवत् 2074—2077 मौजा उकजी की ढाणी के नवीन खाता संख्या 36 का विवरण निम्न प्रकार हैः—

खातेदार	हिस्सा	हाल आराजी खसरा संख्या	रकबा
गेरों पत्नी जगा चेला पुत्र जगा धना पुत्र जगा सावला पुत्र जगा हरू पुत्र जगा	1/5 1/5 1/5 1/5 1/5	129/94 मौजा उकजी की ढाणी 130/94 मौजा उकजी की ढाणी	0.0567 है0 गै0मु0 रास्ता 3.0917 है0 बा.सो.

5. प्रकरण में प्रार्थीगण का नाम से संबंधित अन्य दस्तावेजों का विवरण इस प्रकार हैः—

दस्तावेज का विवरण	नाम
पहचान पत्र	हराराम पुत्र जगाराम
आधार कार्ड	हराराम पुत्र जगाराम
पेन कार्ड	हराराम पुत्र जगाराम
जन आधार कार्ड	हराराम
ड्राईविंग लाईसेंस	हराराम पुत्र जगाराम
राशन कार्ड	हराराम पुत्र जगाराम
बैंक पास बुक	हराराम पुत्र जगाराम
जॉब कार्ड	हराराम पुत्र जगाराम

6. प्रकरण में तहसीलदार गुडामालानी की रिपोर्ट प्राप्त हुई जो कि संलग्न पत्रावली है जिसका प्रासंगिक विवरण का उद्धरण इस प्रकार हैः—

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.02.26 16:21:03 IST
Reason: SelfAttested

1. *कि वादी के ग्राम उकजी की ढाणी के खेत खसरा संख्या 129/94, 130/94 में राजस्व रिकॉर्ड में वादी का लाड़ प्यार का नाम व आम बोलचाल की भाषा का अशुद्ध नाम दर्ज है। वादी के पास उपलब्ध सरकारी दस्तावेजों राशन कार्ड, आधार कार्ड, जॉब कार्ड, पेन कार्ड, जनाधार कार्ड, इपिक, बैंक पास बुक, ड्राईविंग लाईसेंस, आयुष्मान कार्ड के निरीक्षण से ज्ञात हुआ है कि सरकारी दस्तावेजों में दर्ज हराराम वल्द जगाराम व राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज अशुद्ध नाम हरू वल्द जगा कौम रबारी एक ही व्यक्ति के दो नाम है। उक्त नाम के दो अलग–अलग व्यक्ति नहीं है।*
2. *ग्राम उकजी की ढाणी के वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज अशुद्ध नाम हरू वल्द जगा के स्थान पर हराराम वल्द जगाराम वादी के पास उपलब्ध सरकारी दस्तावेज में अंकित नाम अनुसार शुद्ध दर्ज किया जाना उचित है।*

7. उक्त विश्लेषण के अनुसार मुताबिक तहसीलदार रिपोर्ट हरू पुत्र जगा व हराराम पुत्र जगाराम दोनों एक ही व्यक्ति के नाम है। वर्तमान में प्रार्थी का नाम अन्य दस्तावेजों में नाम हराराम पुत्र जगाराम अंकित है। अतः प्रार्थी का नाम का असल नाम अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अद्यधित किया जाकर मिलान किया जाना आवश्यक है ताकि प्रार्थी अपने खातेदारी अधिकारों का अबाद व पूर्ण उपयोग कर सके। अतः प्रार्थीगण के हाल राजस्व रिकॉर्ड में नाम संबंधी इन्द्राज को मुताबिक अन्य दस्तावेज असल नाम अनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त किया जाना उचित है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र अन्य दस्तावेज व तहसीलदार रिपोर्ट से साबित होने के कारण स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः

आदेश है कि

प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 दस्तावेज व तहसीलदार रिपोर्ट से साबित होने के कारण स्वीकार किया जाता है एवं प्रार्थीगण की खातेदारी आराजी में नाम संबंधी इन्द्राज <u>हरू पुत्र जगा</u> को कलमजन कर मुताबिक अन्य दस्तावेज व तहसीलदार रिपोर्ट <u>हराराम पुत्र जगाराम</u> का अंकन करने के आदेश तहसीलदार गुडामालानी को दिये जाते हैं। बाकी राजस्व इन्द्राज बदस्तूर रखा जावे।

उक्त निर्णय की पालना हेतु एक प्रति तहसीलदार गुड़ामालानी को भिजवायी जावें।

यह आदेश आज दिनांक 16.01.2025 को लिखवाया जाकर सरे–इजलास सुनाया गया एवं अधोहस्ताक्षरकर्ता की मुहर व हस्ताक्षर से जारी किया गया।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
गुढामालानी–बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.02.26 16:21:03 IST
Reason: SelfAttested